उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) नियमावली,1910

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से समय–समय पर यथा संशोधित राजस्व परिषद की अधिसूचना संख्या–423– 05/284–बी दिनांक 26 सितम्बर, 1910 के अधीन यथा प्रकाशित निजी भू–गृहादि या सरकार के स्वामित्वाधीन भू–गृहादि में आसवनी चलाने के लिए लाइसेंसों से सम्बन्धित नियमावली में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

संक्षित नाम और प्रारम्भ– **1.** (एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) नियमावली,1910 कही जायेगी।

(दो) यह राजकीय गजट में प्रकाशित होनें के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–1

(1) कोई व्यक्ति जो आसवनी स्थापित करने के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने का इच्छुक हो, वह उस जिले के जहॉ वह अपनी आसवनी स्थापित करना चाहें,कलेक्टर को प्रपत्र पी0डी0 32 में एक आवेदन–पत्र देगा और कलेक्टर उसके आवेदन–पत्र को आबकारी आयुक्त के आदेशार्थ उसके पास अग्रसारित करेगा **तथा आवेदन पत्र अभिहित पोर्टल पर भी अपलोड करेगा।**

(2) उसका आवेदन–पत्र ग्रहण कर लिये जाने पर आवेदन अनुमोदनार्थ उस भवन का विवरण **एवं उसका भूटैग, जिसमें अक्षांश व देशान्तर प्रदर्शित हो** तथा नक्शा (प्लान) जिसमें वह अपनी आसवनी बनाना चाहता हो, और एक तालिका भी प्रस्तुत करेगा जिसमें भपकों तथा अन्य सभी स्थाई साधित्र का विवरण और आकार दिये होंगे। ये नक्शे ट्रेसिंग कपड़े पर माप के अनुसार होंगे जिसमें प्रयुक्त किये जाने वाले प्रत्येक बर्तन (बेसेल) की ठीक–ठीक स्थिति और विभा तथा रंग द्वारा समस्त पाइपों और चैनलों का ट्रेसिंग कोर्स जिनका सम्बन्धित विषय पर नियमानुसार वास्तव में प्रयोग किया जायेगा तथा आसवनी के और महत्वपूर्ण भागों जैसे कि ग्राही कक्ष (रिसीवर रूम) तथा भांडागार की ऊंचाई दी जायेगी।

(3) यदि आबकारी आयुक्त ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वे आवश्यक समझे समाधान हो जाय तो वह ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिसे राज्य सरकार आरोपित करना उचित समझे,आवेदक द्वारा रूपये **5,00,000 (पॉच लाख)** की फीस का भुगतान करने पर आसवनी की स्थापना के लिये प्राधिकृत कर सकता है और प्रपत्र पी0डी0–33 में लाइसेंन्स देगा।

टिप्पणी–प्रदेश की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये आबकारी आयुक्त को यह शक्ति होगी कि वह लाइसेंस के लिये दिये गये किसी आवेदन–पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करें।

(4) उपयुर्क्त लाइसेंस,जारी किये जाने के दिनांक से केवल एक वर्ष के लिये(जब तक कि अवधि विशिष्टतया न बढ़ाई जाय) विधिमान्य होगा और ऐसी अवधि में लाइसेन्सधारी आसवनी की स्थापना हेतु भूमि, भवन, संयत्र मशीनरी तथा अन्य उपस्कर प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। इससे स्प्रिट के निर्माण के लिये लाइसेंस दिये जाने के निमित्त कोई अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त न होगा और इसे, किसी भी समय, लोकहित में, लाइसेंसधारी को लाइसेंस विखंडित करने या उसे वापस लेने की कार्यवाही किये जाने के विरूद्व कारण बताने का नोटिस देने और उसकी सुनवाई, यदि वह चाहे, करने के पश्चात विखंडित किया अथवा वापस लिया जा सकेगा। जब लाइसेंस इस प्रकार विखंडित किया जाय या वापस लिया जाय तो क्षति या हानि के लिये कोई प्रतिकर देय न होगा।

(क) फीट्स (Feints) का तात्पर्य अनुच्च **(Low)** शराब **(Wines)** के आसवन से उत्पादित अशुद्व स्प्रिट से है,

(ख) अनुच्च (Low) शराब **(Wines)** का तात्पर्य वाश (लहन) के आसवन से उत्पादित अशुद्व स्प्रिट से है,

(ग) आब्सक्योरेशन (Obscuration) का तात्पर्य स्प्रिट की वास्तविक सान्द्रता और हाइड्रोमीटर द्वारा प्रकट दृष्य सान्द्रता में अन्तर जो घोल में पदार्थों के कारण होता है, से है,

(घ) प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य आसवनी के प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त से है,

(ड़) रिसीवर (प्राप्तक) का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें भभका (स्टिल) की वर्तुलाकार नली गिरती है,

(च) रिसीवर रूम का तात्पर्य आसवनी के ऐसे भाग से है जहॉ प्रापक (रिसीवर) रखे जाते हैं,

(छ) "स्पेन्ट लीस"(Spentlees) का तात्पर्य अशुद्व स्प्रिट के पुनः आसवन के बाद बचे अवशेष से है,

(ज) स्पेन्ट वाश (Spent wash) का तात्पर्य वाश से स्प्रिट के निष्कासन के बाद बचे अवशेष से है,

(झ) वाट से अभिप्रेत ऐसे स्थिर पात्र से है जो स्प्रिट के संग्रह के लिए प्रयुक्त होता है,

(ञ) गोदाम (भण्डागार) का तात्पर्य आसवनी के ऐसे भाग से है जहॉ उपभोग योग्य स्थिति में स्प्रिट को संग्रह किया जाता है,

(ट) वाश का तात्पर्य सेकेरीन घोल से है, जिसके आसवन द्वारा स्प्रिट प्राप्त की जाती है और इसमें किण्वित वाश या वार्ट भी सम्मिलित है,

(ठ) वाश बैक (Wash Back) का तात्पर्य ऐसे पात्र से है जिसमें किण्वन कराया जाता है,

(ड) पोर्टल का तात्पर्य विशेष रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर मदिरा निर्माण की प्रकिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड करने के प्रयोजन से है।

नियम–2.

(1) सिवाय आबकारी आयुक्त द्वारा प्रपत्र पी0डी0–1 या प्रपत्र पी0डी0–2 में दिये गये लाइसेंस के प्राधिकार और उसके निबंधनों तथा शर्तो के अधीन रहते हुये, न तो किसी स्प्रिट का निर्माण किया जायगा और कोई व्यक्ति स्प्रिट का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ ऐसे किसी सामान,भपका,औजार तथा उपकरण आदि का,जो भी हो,न तो प्रयोग करेगा,न उसको अपने पास और न अपने कब्जे में रखेगा। सरकार के स्वामित्वाधीन भू–गृहादि में आसवनी को चलाने के लिये लाइसेंस प्रपत्र पी0डी0–1 मे दिया जायेगा जबकि सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन भू–गृहादि में आसवनी चलाने के लिये लाइसेंस प्रपत्र पी0डी0–2 में दिया जायेगा।

(2) उपर्युक्त लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन–पत्र प्रपत्र पी0डी0–34 में होगा और जो आबकारी आयुक्त को प्रपत्र पी0डी0–33 में लाइसेंस दिये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा जब तक कि विनिर्दिष्टतः अन्यथा अनुमति न दी गई हो।

(3) प्रपत्र पी0डी0–1 या पी0डी0–2 में,जैसी भी दशा हो,लाइसेंस दिये जाने के पूर्व,आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई आबकारी अधिकारी,भू–गृहादि आदि का निरीक्षण करेगा और नक्शे से उसका मिलान करेगा तथा तद्नुसार प्रमाण–पत्र देगा।

(4) प्रपत्र पी0डी0–1 या पी0डी0–2 में कोई लाइसेंस तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि आवेदक ने–

(क) आबकारी आयुक्त का यह समाधान न कर दिया हो, कि स्प्रिट बनाने,उसका भण्डारण तथा निर्गमन करने के सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रस्तावित भवन,बर्तन संयंत्र तथा उपकरण तदर्थ बनाये गये नियमों के अनुसार है और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शे के अनुरूप है और अग्रेतर यह कि आग से बचाने के लिये सम्यक् पूर्वोपाय किये गये हैं।

(ख) नियम–4 की अपेक्षानुसार प्रतिभूति जमा कर दी है, और

(ग) **अगामी दो वर्ष** या उसके भाग के लियेजिसके निमित्त लाइसेंस दिया जाय,उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता के 25.00 रूपये (पच्चीस रूपये) मात्र प्रति मात्र प्रति किलो लीटर वार्षिक की दर से दो वर्ष के लिये लाइसेंस फीस अग्रिम रूप में जमा कर दी है।

(5) उपरोक्त लाइसेंस निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हये दिया जायेगाः–

(क) आबकारी आयुक्त किसी भी समय उपनियम (4) में उल्लिखित विवरण तथा नक्शे का सत्यापन कर सकता है और गलत साबित होने पर नया विवरण तथा नक्शा(प्लान) प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करेगा। ऐसा सत्यापन इस प्रयोजन के लिये प्रतिनियुक्त किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है और एसे अधिकारी को भू–गृहादि में प्रवेश करने की पूर्ण अनुमति होगी। आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित आसवनी नक्शे की द्वितीय प्रति आसवनी द्वारा दी जायगी जिसे सम्बद्व आसवनी निरीक्षक के कार्यालय में फाइल की जायेगी **तथा आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।**

(ख) ऐसे भवनों में या ऐसे भपकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में कोई परिवर्तन या परिवर्धन आबकारी आयुक्त के अनुज्ञा के बिना नहीं किया जायेगा। यदि कोई परिवर्तन करने की स्वीकृति दी जाये तो उस विवरण तथा नक्शे को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि आबकारी आयुक्त ऐसा निर्देश दे तो आसवनी के प्रभारी अधिकारी ऐसे भवनों या भपकों तथा अन्य स्थायी उपकरणों में छुद्र परिवर्तन करने की उसके अनुवर्ती अनुमोदन के अधीन रहते हुये अनुज्ञा दे सकता है।

(6) आगामी आबकारी वर्ष हेतु लाइसेंस के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र सम्बन्धित वर्ष 28 फरवरी को या इसके पूर्व कलेक्टर के माध्यम से आबकारी आयुक्त को दिया जायेगा। यदि संयंत्र या भवन में कोई परिवर्तन किया गया है तो नया नक्शा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। यदि कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो प्रभारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदन–पत्र के साथ अग्रसारित किया जाना चाहिये। उपनियम (4) (ग) में विहित **लाइसेंस फीस दो वर्ष या उसके भाग के लिये ऐसे नवीनीकरण के लिए अग्रिम रूप से देय होगी।** यदि लाइसेन्स के नवीकरण के लिये आवेदन–पत्र उचित रूप से समय पर प्रस्तुत न किया जाय और नवीकरण में विलम्ब हो जाय तो आसवनी में उत्पादित स्प्रिट अभिगृहीत और समपहत कर ली जायगी,या आसवनी चलाने वाले पक्षकारों को स्प्रिट के अवैध निर्माण के लिये विधि द्वारा व्यवस्थित शास्तियां दी जायेंगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आसवनी केलिये जिसे पहले लाइसेन्स प्राप्त था,लाइसेंस अस्वीकार किये जाने की दशा में, अपील के विचाराधीन रहने तक समुचित समय के लिये अस्थायी रूप से आसवनी चलाने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

नियम–3. लाइसेंस की समाप्ति के बाद स्प्रिट आदि को हटाना प्रत्येक आसवक अपने लाइसेंस की समाप्ति पर (यदि उसे नया लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया है) या उसके निरस्त या निंलबित किये जाने पर, तत्काल आसवनी के अन्दर अवशेष स्प्रिट पर शुल्क भुगतान करने तथा प्रवृत्त नियमों के अनुसार उसे हटाने के लिये बाध्य होगा और यदि वह कलेक्टर से लिखित नोटिस प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है तो कोई अधिष्ठान,जिसे आसवनी या भांडागार में नियोजित करना आवश्यक हो,के व्यय को व्यतिक्रमी से वसूल किया जा सकता है। लगातार अपेक्षा के मामले में,आबकारी आयुक्त के विवेक पर स्प्रिट समपहरणीय हो जायगी।

नियम–4– प्रचलित पी0डी0–1 अनुज्ञापनों एवं पी0डी0–1 अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार होगीः–

क्रम संख्या	आसवनी की वार्षिक सकल अधिष्ठापित क्षमता(लाख ब0ली0में)	संदेय प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)

1	500 तक	**25 लाख**
2	500 से अधिक 1000 तक	**45 लाख**
3	1000 से अधिक	**65 लाख**

प्रतिभूति धनराशि का 75 प्रतिशत भाग ''सावधि जमा रसीद'' के रूप में जमा किया जायेगा जो आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश के अभिहित नाम से प्रतिश्रुत होगा,तथा शेष 25 प्रतिशत भाग राजकीय राजकोष में सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अधीन नकद जमा किया जायेगा।

नियम–5 व्यवस्था, प्रबन्ध तथा नियंत्रण

आसवक अपने स्टिल्स(भट्टियों) को ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि वार्म्स (घुमावदार नलियॉ) बन्द तथा ताला लगे रिसीवरों (प्रापक टंकियों) में,जो आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत पैटर्न(आकार) के होंगे,उन्मोचित(डिस्चार्ज) हों। स्प्रिट या फीट्स को ले जाने वाले प्रत्येक पाइप इस प्रकार लगाये जाने चाहिये कि उसका पूरी लम्बाई तक परीक्षण किया जा सके। ये समस्त स्टिल्स,रिसीवरों,किण्वन कक्षों या शेड़ों दरवाजों पर उपयुक्त तथा सुरक्षित बॅाधने वाली वस्तु(फासनिंग्स) आबकारी आयुक्त के सन्तोष के लिये सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये तालों को लगाने के लिये रखेंगे किन्तु जब ताले आसवनी की किसी फिटिंग(यन्त्र) पर आसवकों की सुविधा के लिये तथा परिवर्तनों के करने में होने वाले व्यय से बचाने के लिये लगाये जायें तो ऐसे तालों का मूल्य उनके द्वारा वहन किया जायेगा। ऐसे सभी तालों की चाबियॉ आसवनी के सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने पास रखी जायेंगी किन्तु आसवक सभी स्टिल्स,रिसीवरों इत्यादि पर जिन पर सरकारी ताले लगे हैं,अपने निजी ताले लगाने के लिये स्वतंत्र हैं,किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह सदैव कलेक्टर या आसवनी के प्रभारी अधिकारियों अन्य आबकारी विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की मांग पर तुरन्त अपने ताले हटा देंगे, या जिसे स्टिल्स तथा रिसीवरों,जिन पर तथा कमरे जिनके दरवाजों पर ऐसे ताले लगे है तथा एसे स्टिलो,रिसीवरों तथा कमरों की अर्न्तवस्तु का स्वतंत्र निरीक्षण किया जा सके।

नियम–6 आसवक स्टिल्स तथा स्प्रिट रिसीवर के बीच एक शीशे का 'सेफ' लगायेगे जिससे स्प्रिट,जो प्रवाहित हो रही है,कि गुणवत्ता तथा तीव्रता किसी भी क्षण ओपरेटर को दृश्यमान हो या एक सेम्पलिंग (नमूना लेने का) यंत्र का इस प्रकार निर्माण किया जायेगा कि प्रत्येक लिये गये नमूने के लिये उतनी ही सामान्य मात्रा बन्द तथा ताले से युक्त पात्र उन्मोचित होगी। यदि चाहे तो सेफ तथा सेम्पलिंग दोनो ही प्रयोग किये जा सकते है। आसवक,यदि ऐसा आवश्यक हो काक्स से युक्त ब्रन्च पाइप भी लगायेगे जिसके जरिये विभिन्न तीव्रताओं तथा गुणवत्ताओं की स्प्रिट को पृथक–पृथक रिसीवरों की ओर भेजा जा सके।

नियम–7 आसवक अपने स्प्रिट रिसीवरों तथा संग्रह बाटो को ऐसे व्यवस्थित करेगें कि स्प्रिट बन्द पाइपों के जरिये गुरूत्वाकर्षण से पूर्ववर्ती से पश्चात कथित में जा सके या जहॉ ऐसा व्याहारिक न हो,वहा यंत्र लगायेंगे,जिससे बन्द पाइपों के जरिये स्प्रिट पूववर्ती से पश्चात कथित में पंप की जा सके।

नियम–8 आसवनी में सभी रिसीवर तथा वाट्स ऐसे स्थापित किये जायेगे जिससे उनकी अर्न्तवस्तु सही तरह गेज की जा सके या नापी जा सके और आबकारी आयुक्त के सन्तोषानुसार उसमें उपयुक्त डिपिंग रोड भी लगायी जानी चाहिये,जो डिप लेने के स्थान से ऐसे समायोजित हो किसी भी समय उसकी अर्न्तवस्तु को निश्चित किया जा सके। रिसीवरों तथा वाट्स को भी इस तरीके से ग्रेज किया जायेगा जैसा आबकारीआयुक्त समय–समय पर आदेश दे और कोई भी पात्र रिसीवर या संग्रहण वाट्स की तरह तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा,जब तक यह ग्रेज न किया गया हो और ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे आबकारी आयुक्त आदेश दें, जॅाच नहीं लिया गया हो।

नियम–9 आबकारी आयुक्त,आबकारी विभाग के ऐसे अधिकारियों को, जिन्हे वे उचित समझे, आसवनी के प्रभार के लिये नियुक्त करेगा। ऐसे अधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा दिया

जायेगा परन्तु यह कि जब अधिष्ठान का वार्षिक व्यवभार राज्य के जिलों के लिये आसवनी से की गई निकासी पर उद्ग्रहीत शुल्क के दस प्रतिशत से अधिक हो तब जितना अधिक होगा उतना आसवक से वसूल किया जायेगा–

10– आसवक आसवनी के प्रभारी अधिकारी या उनके कर्मचारियेां के प्रयोग हेतु कार्यालय फर्नीचर उपलब्ध करायेगा । यदि आसवनी ऐसे स्थान पर है जहा ऐसे अधिकारियों के लिये उपयुक्त आवास युक्त–युक्त दरों पर उपलब्ध नहीं हो तो आसवक आबकारी आयुक्त के सन्तोषानुसार उपयुक्त आवास उपलब्ध करायेगा।

(क) आसवनी के किसी आबकारी निरीक्षक के लिये किराये पर, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक या 10000 रूपये प्रतिमास, जो भी कम हो।

(ख) आसवनी के क्लर्क के लिए किराये पर, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक या 5,000 रूपये प्रतिमास, जो भी कम हो।

(ग) आसवनी के चपरासी(कांस्टेबिल) के लिए किराये पर, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक या 2000 रूपये प्रतिमास, जो भी कम हो।

(घ) किसी सहायक आबकारी आयुक्त के लिये किराये पर, जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अनधिक या 16000 रूपये प्रतिमास, जो भी कम हो।

आसवक आवासों और उनके संलग्नकों की सही स्थिति में रखने और उसकी उचित मरम्मत कराने के लिये बाध्य होगा और उनमें रहने वाले अधिकारियों उनके प्रयोग और उपभोग में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा या उन्हे रूष्ट नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि ऐसे आवासों के स्वामी द्वारा मांगा गया किराया आवास सुविधा की प्रकृति और विस्तार को देखते हुये उचित या युक्तियुक्त है या नहीं,तो वह प्रश्न आबकारी अयुिक्त को सन्दर्भित किया जायेगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा उस आसवनी पर बाध्यकारी होगा।

11. आबकारी अधिकारियों की उपस्थिति का समय–

आसवनी में तैनात निरीक्षकों, क्लर्कों एवं सिपाहियों की उपस्थिति की शिफ्ट सम्बन्धित आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा नियत किया जायेगा। सामान्यतः प्रत्येक पदाधिकारी एक दिन में अर्थात चौबीस घन्टे में कुल अनधिक आठ घन्टे डयूटी पर रहेगा। शिफ्ट की अवधि प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक, अपरान्ह 02.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक तथा रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी। आसवनी के कार्य संचालन की यथावश्यकतानुसार अतिरिक्त आबकारी कर्मचारियों की व्यवस्था की जायेगी।

12–अवकाश– निरीक्षकों तथा क्लर्को की आसवनी में निम्नलिखित अवकाश की अनुमति है– रविवार, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी),गुड फ्राइडे, महात्मा गॉधी का जन्म दिवस (सरकारी), स्वतंत्रता दिवस, क्रिसमस दिवस, होली (होलिका दहन का अगला दिन), जन्माष्टमी, दशहरा (मुख्य दिवस), दिवाली (मुख्य दिवस) ईदुल फितर (मुख्य दिवस) ईदजुहा, मोहर्रम (दसवां दिन) और शब–इ–बरात।

अन्य राजपत्रित अवकाश की अनुमति तभी होगी,यदि आसवक विशेष आधार पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से स्वयं बन्द करते हैं।

नियम–13 आसवक जिस तिथि को आसवन प्रारम्भ करना चाहता है उसका 15 दिन का लिखित नोटिस देगा।

नियम–14 ऐसे मामले में जब आसवक एक मास से अधिक के लिये आसवन बन्द कर देता है तब आबकारी आयुक्त आसवनी में नियुक्त कर्मचारियों को वापस ले सकता है और आगे आसवन तथा निकासी का निषेध कर सकता है जब तक आसवक ने आबकारी आयुक्त का आसवन प्रारम्भ करने या स्प्रिट की निकासी देने के लिये,जैसी स्थिति हो, प्रस्तावित दिनांक से कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित नोटिस नहीं दिया हो।

नियम–15(1) आसवनी में किसी स्प्रिट के नुकसान के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी– आसवनी में संग्रहीत किसी स्प्रिट की आग, चोरी, माप, प्रूफ या अन्य किसी कारण से हानि और क्षति के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। आग या अन्य दुर्घटना की स्थिति में आसवनी का प्रभारी अधिकारी दिन या रात में किसी भी समय परिसर खुलवाने के लिये तुरन्त उपस्थित होगा।

(क) आसवनियों की दक्षता सुधारने के लिये सभी आसवक प्रारूप पी0डी09ए में '' किण्वन तथा आसवन रजिस्टर रखेंगे। आसवनियों के कार्य में सुधार पर निगाह रखना सुनिश्चित करने के लिये,इस रजिस्टर से सुसंगत सूचना आबकारी आयुक्त को दी जायगी। तद्नुसार आसविनयों में ''किण्वन तथा आसवक दक्षता'' का मासिक विवरण प्रत्येक आसवक द्वारा विहित प्रारूप में आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्रस्तुत किया जायगा।

(ख) आसवक ऐसी न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, **आलू** अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से ऐसे न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति के लिये उत्तरदायी होंगे, जिसे आबकारी आयुक्त द्वारा विहित किया जाय।

टिप्पणी– आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम किण्वन और आसवन दक्षता और शीरे,गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, **आलू** अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ से अल्कोहल की प्राप्ति निम्नलिखित प्रकार से हैं–

(एक)किण्वन दक्षता.... शीरे,गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, **आलू** अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान 84 प्रतिशत किण्वीय शक्कर।

(दो)आसवन दक्षता..... वाश में विद्यमान सत्तानबे (97) प्रतिशत अल्कोहल।

(तीन) न्यूनतम अल्कोहल की प्राप्ति...... अल्कोहल के उत्पादन के लिये उपयुक्त शीरे,गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, **आलू** अथवा अन्य विशिष्टतय स्वीकृत पदार्थ में विद्यमान प्रति क्विन्टल किण्वीय शक्कर से बावन दशमलव पॉच (52.5) लीटर अल्कोहल।

(2) विहित न्यूनतम दक्षता बनाये रखने और अल्कोहल की प्राप्ति में विफल होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 के अधीन आरोपित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त आसवकों का लाइसेन्स रद्द किया जा सकेगा और प्रतिभूति जमा का समपहरण हो जायगा।

आसवनी का प्रभारी अधिकारी तीन क्रमिक उत्पादन में उपयुक्त शीरे, गन्ने के रस, गुड़, महुवा, जौ, गेहू, मक्का, **आलू** अथवा अन्य विशिष्टतया स्वीकृत पदार्थ का सामूहिक नमूना लेगा और उपयुक्त विधि से इस बात की पुष्टि करते हुये कि परिवहन के दौरान नमूने की किण्वीय शर्करा में कोई ह्रास नहीं होगा,उसे तीन बराबर भाग में विभाजित करेगा और प्रभारी अधिकारी अपनी मुहर बन्द करेगा। सम्यक् रूप से मुहर बन्द किये गये नमूने का दो भाग आसवकों को दिया जायगा जो उसमें से एक भाग की किण्वीय शर्करा का प्रतिशत अवधारित करने के लिये, यथा स्थिति,रासायनिक परीक्षक,उत्तर प्रदेश सरकार या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या अभिकरण को भेजेंगे और दूसरा भाग अपने पास रख लेंगे। सम्यक् रूप से मुहर बन्द नमूना का तीसरा भाग प्रभारी अधिकारी द्वारा रख लिया जायेगा। रासायनिक परीक्षक या आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या अभिकरण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर आसवनी का प्रभारी अधिकारी अल्कोहल की न्यूनतम मात्रा का अनुमान लगायेगा जो आबकारी आयुक्त द्वारा विहित न्यूनतम प्राप्ति के आधार पर आसवकों द्वारा उत्पादित किया जाना चाहिये। यदि अल्कोहल की प्राप्ति विहित न्यूनतम मात्रा से कम हो,तो प्रभारी अधिकारी आसवक से स्पष्टीकरण मागेगा और उसे अपनी टिप्पणियों सहित सम्बन्धित उप प्रभारी आबकारी आयुक्त को भेजेगा। उप प्रभारी आबकारी

आयुक्त यदि आवश्यक हो, मामले की जॉच करेगा और आबकारी आयुक्त को अपनी रिपोर्ट आवश्यक आदेश के लिये प्रस्तुत करेगा।

नियम–16 लहन का तैयार करना,लहन हटाया नहीं जायेगा–कोई भी लहन(वाश) सिवाय आसवनी के अन्दर तैयार नहीं किया जायेगा और न ही कोई भी लहन किसी भी कारण आसवनी से हटाया जायेगा और यदि आबकारी आयुक्त ऐसा आदेश दे,समस्त लहन स्वीकृत स्थानों पर सुरक्षित ताले के अन्दर रखा जायेगा। आसवकों को देखना चाहिये कि जब वे लहन डाले उनके द्वारा प्रयुक्त सैकेरीन सामग्री पूरी तरह विघटित कर ली जाय,आसवनी के अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में लिखित घोषणा–पत्र प्रस्तुत करे और उसे समस्त सूचना जिसकी उसको आवश्यकता हो, सामान्यतया उपलब्ध कराये।

17. आधार जिनसे स्प्रिट बनाई जा सकती है– स्प्रिट, गन्ने के रस, गुड़, शीरा, महुआ, जौ, गेहूॅ, मक्का, **आलू** या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस प्रयोजनार्थ स्वीकृत अन्य किसी विशिष्ट पदार्थ से बनाई जा सकती है।

नियम–18 हानिकारक पदार्थ प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे– आसवन में अच्छे किस्म के पदार्थ प्रयुक्त किये जायेगे और कोई तत्व जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हो प्रयुक्त नहीं किये जायेगे और स्प्रिट में मिलाये जायेगे। आबकारी आयुक्त के आदेशों पर स्प्रिट का विश्लेषण किया जायेगा और आबकारी आयुक्त द्वारा जो दोष सारवान समझे जायेगे,उन्हें सुधारने के लिये आसवक कदम उठायगा। यदि स्प्रिट निम्न कोटि की पाई जाय और जिस उदेश्य के लिये बनाई गई हो,उसके अनुपयुक्त पायी जाय तो आबकारी आयुक्त के आदेश के अन्तर्गत उसे अस्वीकृत, नष्ट या अन्यथा निस्तारित किया जा सकता है।

यदि आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी स्पिट को खराब समझा जाय तो वह आबकारी आयुक्त के आदेश प्राप्त होने तक उस स्प्रिट की निकासी रोक सकता है और ऐसी स्प्रिट के नमूने बिना विलम्ब के विश्लेषण हेतु भेजने की अपेक्षा कर सकता है।

18(क)– भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विनिर्माण–पी0डी–1 या पी0डी0–2 प्रारूप में लाइसेंस प्राप्त आसवक को अपनी अनुज्ञप्त आसवनियों में पेय प्रयोजन हेतु भारत निर्मित विदेशी स्प्रिट को उस इक्स्ट्रा न्यूटल अलकोहल से बनाने की अनुमति दी जा सकती है जो निम्नलिखित विशिष्टयों के अनुरूप न हो–

(1) मूल नमूने में एल्डीहाइड तत्वों में एसिड एल्डीहाउड के रूप में परिगणित 0.004 ग्राम प्रति 100 एमएल से अधिक एल्डीहाइड नहीं होनी चाहिये।

(2) मूल नमूने के एसिड तत्वों में ऐसेटिक एसिड के रूप में परिगणित 0.002 ग्राम प्रति 100 मि0ली0 से अधिक ऐसेटिक एसिड नहीं होने चाहिये।

(3) मादक पेय के लिए न्यूट्रल स्प्रिट हेतु भारतीय माानक आई0एस0 6613–1972 स्पेशीफिकेशन में यथाप्रदत्त परमेंगनेट परीक्षण का विवरण जो इक्स्ट्रा न्यूटल अलकोहल द्वारा दर्शित होना चाहिये निम्नानुसार है–

"कॉच के स्टौपर युक्त सिलिडर,जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा पूरी तरह साफ कर लिया गया हो, में 20 सी0सी0 अल्कोहल डालिये, तद्नन्तर डिस्टिल्ड वाटर (आसवित जल) से और अन्त में अल्कोहल जिसका परीक्षण किया जाना है, से धोइए। इसे लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करिये,इसमें सावधानी से साफ किये गये पिपेट की सहायता से 0.1 सी0सी0 साधारण पोटेशियम परमेंगनेट का दसवॉ भाग (3.16 ग्राम प्रति लिटर) मिलाइए और मिश्रण का सही समय नोट कीजिए,तुरन्त स्टौपरयुक्त सिलिंडर को उल्टा करके मिलाइए,फिर 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट रखिए। गुलाबी रंग पूर्णतया लुप्त नहीं होना चाहिए।"

(4) नमूना साफ पानी के समान सफेद द्रव होना चाहिये।

(5) पानी के साथ अनुपात में बिना तलछट या "आपारदर्शिता" हो जाना चाहिये।

(6) विशिष्ट स्प्रिट गन्ध।
(7) घोल या विलम्बन में ठोस पदार्थ रहित होना चाहिए जब 10 मिलीलीटर को वाष्पीकृत किया जाय तो भारहीन धब्बा शेष रहे।

नियम–19 किसी आसवक को,जिसके पास प्रपत्र पी0डी0–1 या प्रपत्र पी0डी0–2 में अनुज्ञापन हो,स्प्रिट में कोई सुवासक,रंजक या अन्य कोई भी पदार्थ मिलाने के लिये आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा और कोई ऐसा अनुज्ञापी सिवाय उस सीमा तक और रीति के जिसकी अनुमति आयुक्त ने दी हो,सुवासक,रंजक या अन्य कोई भी पदार्थ नहीं मिलायेगा। अनुज्ञापी आसवनी के भू–गृहादि में,सिवाय आबकारी निरीक्षक को पूर्व सूचना देकर स्प्रिट को रंगने,सुवासित करने के प्रयोजनार्थ कोई भी पदार्थ नहीं लायेगा और आबकारी निरीक्षक प्रपत्र पी0डी032 में,एक रजिस्टर रखेगा और आसवनी के भू–गृहादि में लाये गये समस्त पदार्थ या सामग्री उस रजिस्टर में,यथाविधि दर्ज की जायेगी। आसवनी के भू–गृहादि में लाये गये सभी पदार्थ या सामग्री मूल डिब्बे या कैप्सूल में सील बन्द ज्यों के त्यों रखे जायेंगे और रंगने,सुवासित करने की प्रक्रिया आबकारी निरीक्षक की देखरेख में की जायेगी। रंगने,सुवासित करने या किसी पदार्थ को मिलाने का कार्य तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के रासायनिक परीक्षक ने उसके नमूने की जांच करके उसे अनुमोदित न कर दिया हो।

प्रतिबन्ध यह है कि आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित किसी फर्म द्वारा निर्मित कोई ऐसा पदार्थ आसवनी के भू–गृहादि में लाया जाय और मूल लेबिल तथा कैप्सूल के वहां रक्खा जाय तो उसकी वर्ष में केवल एक बार इस नियम के अधीन परीक्षण करने की आवश्यकता होगी।

नियम–20 ऐसे व्यक्ति,जिनका कोई काम नहीं हो,उनका आसवनी में प्रवेश निषेध होगा– आसवनी केवल ऐसे व्यक्तियें के प्रवेश और निकासी के लिये खुलेगी,जिनका उसमें व्यापार हो। आबकारी विभाग के अधिकारियों,दूसरे राजकीय विभागों के अन्य अधिकारियों आसवक,उसके सेवकों और अनुज्ञप्त विक्रेताओं,जो स्प्रिट खरीदने आते हैं,के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य से परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। अन्य व्यक्ति केवल प्रभारी अधिकारी की अनुमति से प्रवेश कर सकते हैं,परन्तु यह कि ऐसे व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जायेगी जिनके आसवनी में प्रवेश के लिये आसवक द्वारा आपत्ति की जावे।

21(i) **आसवनियों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण–** आसवनी या भण्डागार में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्ति आसवनी और भण्डागार के अन्दर अपने चरित्र और कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी के आदेशों के अधीन रहेंगे और प्रभारी अधिकारी के विवेकानुसार परिसर छोड़ते समय उनकी तलाशी ली जा सकती है।

टिप्पणी– प्रभारी अधिकारी को यह समझ लेना चाहिये कि तलाशी लेने का अधिकार विवेकानुसार प्रयोग किया जाना चाहिये। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की तलाशी सिवाय सन्देह के अत्यधिक पर्याप्त आधारो के नहीं ली जानी चाहिये। चतुर्थ श्रेणी के सेवकों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के तलाशी के मामलों की प्रविष्टि डायरी में अपनी कार्यवाही के लिये अधिकारी के कारण सहित की जानी चाहिये।

(ii) आसवनियों से स्प्रिट की निकासी पर नियंत्रणः–आसवनी के प्रवेश/निकास द्वार पर आसवनियों द्वारा सी0सी0 टी0वी0 कैमरों की स्थापना निम्नवत् प्रक्रिया अनुसार किया जायेगाः–

1. आसवनियों में प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक ही द्वार होगा।
2. आसवनियों द्वारा आवसनी के प्रवेश/निकास द्वार पर **आई0पी0एड्रेस सहित** सी0सी0 टी0वी कैमरे की स्थपना की जायेगी।
3. **आई0पी0एड्रेस सहित** सी0सी0टी0वी0 केमरे चौबीस घंटे संचालित तथा निरन्तर कार्यशील रहेगे।
4. आसवनी में **आई0पी0एड्रेस सहित** सी0सी0 टी0वी0 कैमरे इस प्रकार स्थापित किये जायेगे, जिससे आसवनी में कच्चा माल (शीरा/ग्रेन/पेट बोतल/टेट्रा पैक/

कार्टून/लेबिल/कैरामेल आदि), मदिरा व अन्य उत्पाद लेकर प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले वाहनों (टैंकर/लारी) की नम्बर सहित रिकार्डिंग हो सके **तथा इसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित किया जायेगा और आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।**

5. सी0सी0टी0वी0 कैमरा की रियल टाइम मानिटरिंग मुख्यालय से इंटरमेट के माध्यम से करने हेतु आसवनी द्वारा अपने कैमरा/ कम्प्यूटर का आई0पी0 एड्रेस आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

6. सी0सी0टी0वी0 कैमरे से की जाने वाली एक माह की रिकाडिंग पूर्ण हो जाने पर उसकी डी0वीडी0/हार्डडिस्क/पोटेबिल डिस्क बना ली जायेगी और उक्त डी0 वी0 डी0/हार्डडिस्क /पोटेबिल डिस्क पर रिकाडिंग की अवधि अंकित की जायेगी।

7. डी0वीडी0/हार्डडिस्क/पोटेबिल डिस्क पर प्रभारी अधिकारी आसवनी/आसवनी की प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगे।
8. उक्त मीडिया की एक प्रति प्रभारी अधिकारी आसवनी के पास तथा तीसरी प्रति आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश के कार्यालय में परिरक्षित होगी।
9. एक माह की उक्त स्टोरेज मीडिया तैयार होने के बाद अगले 12 माह तक परिरक्षित की जायेगी।
10. **आसवनी से स्प्रिट/देशी शराब/विदेशी मदिरा के पारेषण (डिस्पैच) जी0पी0एस0 युक्त वाहनों (टैंकर/कन्साइनमेन्ट) के माध्यम से ही प्रेषित किये जायेंगे, जिसकी केवल वास्तविक समय के आधार पर निगरानी आनलाईन की जायेगी।**
11. **पी0डी0–25/एफ0एल0–36 पासेस में अनिवार्य रूप से सम्बन्धित वाहनों का टेयरवेट अंकित किया जायेगा, जिसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित किया जायेगा और आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन आनलाइन अपलोड किया जायेगा।**

12. **आसव की सम्पूर्ण मात्रा के एक परेषण का परिवहन बगैर विखण्डित किये एक साथ किया जायेगा और ई–ट्रांजिट पास में निर्धारित परिवहन मार्ग से विचलन की दशा में आसवनी/यवासवनी के अनुज्ञापियों का राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शास्ति अधिरोपित की जायेगी। यदि आसवनी एक से अधिक बार एक ही विधिमान्य परमिट पर कन्साइनमेन्ट पारेषण हेतु ई–ट्रांजिट पास का छद्मपूर्ण एवं कपटपूर्ण उपयोग करने में लिप्त पायी जाती है तो प्रभारी आसवनी अधिकारी तथा आसवनी स्वामी दण्ड के भागी होंगे।**

नियम–21(क) उन आसवनियों, जिनके पास पी–डी–1 लाइसेंस है, उनमें गार्ड नियुक्त होंगे–
सरकारी भवनों में चलाई जाने वाली आसवनियों के मामले में–
(1) यदि आबकारी आयुक्त आवश्यक समझे तो पुलिस गार्ड, जिसमें एक नायक और 03 कास्टेबिल होगें, पहरा और निगरानी के लिये आसवनी में तैनात किया जा सकता है। दरवाजे पर दिन व रात रक्षा के लिये एक सन्तरी रहेगा। गार्ड की डियूटी विहित करने वाला पत्रक नायक के कब्जे में रहेगा,जो गार्ड को आदेशित करेगा।
(2) आसवनी का दरवाजा दिन में आसवनी के अधिकारी,आसवक और वर्कमैन(कर्मकार) के प्रवेश के लिये खोला जावेगा और सूर्यास्त के समय बन्द कर दिया जायेगा। दरवाजे की चाभी दिन में सन्तरी के पास और रात में नायक के पास रहेगी। साधारणतया दरवाजा बन्द रखा जायगा और प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश और बाहर जाने,पदार्थो,ईधन और प्लांट के प्रवेश एवं स्प्रिट एवं अपशिष्ट पदार्थो के निकास के लिये खोला जायगा।
(3) प्रभारी अधिकारी द्वारा आसवनी में प्रवेश के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची गार्ड के प्रभारी नायक को दी जायगी।

नियम–22 आसवक अपने सेवकों द्वारा विधि के उल्लंघन की सूचना देने के लिये बाध्य होगा– यदि आसवक के कान में आता है कि उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति द्वारा आबकारी विधि का उसके साथ किये गये वचन–बन्ध का उल्लंघन किया गया है तो उसका कर्तव्य होगा कि वह इसकी सूचना कलेक्टर को देवे और ऐसे व्यक्ति को नियोजन में बनाये रखने के सम्बन्ध में अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करें।

नियम–23, झगड़ालू व्यक्तियों को बाहर निकाला जा सकता है– आसवनी या भाण्डागार का प्रभारी अधिकारी ऐसे व्यक्ति को,जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण हो कि उसने इन नियमों या आबकारी अधिनियम के प्राविधानों का उल्लंघन किया है या करने वाला है या उन्मत या उच्छृंखल है,उसे परिसर से बाहर निकाल सकता है या पृथक कर सकता है। ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियम के अधीन किये गये कार्यो को अपनी शासकीय डायरी में अपने उच्चाधिकारियों की सूचना हेतु लेखबद्ध किया जायगा।

24. आसवकों द्वारा लेखे रखे जायॅगे– आसवक नियमित रूप से दैनिक लेखा रखेगा। लेखों में प्रयुक्त पदार्थो की मात्रा एवं विवरण,लहन तथा निर्मित स्प्रिट की मात्रायें, बाहर गयी स्प्रिट की मात्रा और प्रत्येक वाट या अन्य पात्रों में संचित लहन और स्प्रिट की मात्रायें दर्शित की जायेगी **तथा इसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित किया जायेगा तथा आबकारी विभाग के पोर्टल पर प्रतिदिन आनलाइन अपलोड किया जायेगा।**
टिप्पणीः– आसवकों को अपने वांछित प्रपत्र में लेखा रखना होगा, किन्तु उक्त लेखा में उपरिनिर्दिष्ट विवरण अन्तर्विष्ट होंगे।

नियम–25 आसवक के लेखे निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेंगे एसे लेखे प्रभारी अधिकारी तथा उसके उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेंगे।

26–किसी आसवनी में संग्रहीत विभिन्न प्रकार की स्प्रिट(बोतल में भरी गई स्प्रिट को छोड़कर) के लिये छीजन की निःशुल्क छूट निम्नलिखित होगी–

(1)साधारण एवं मसालेदार स्प्रिट	0.7 प्रतिशत
(2)परिशेधित स्प्रिट और परिष्कृत	0.4 प्रतिशत
(3)विकृत स्प्रिट	0.5 प्रतिशत

यदि किसी प्रकार की स्प्रिट पर कुल छीजन 1.5 प्रतिशत से अधिक न हो,तो निःशुल्क छूट से अधिक की शुद्ध छीजन पर शुल्क लिया जायेगा। किन्तु यदि कुल छीजन 1.5 प्रतिशत से अधिक हो तो निःशुल्क छूट दिये बिना सम्पूर्ण छीजन पर निम्नलिखित दर से शुल्क लिया जायेगा–

(क) आसवनी में संचित स्प्रिट के छीजन एवं आसवनी से निर्गमित स्प्रिट के मार्गनयन छीजन पर प्रतिफल शुल्क की दरें:–

कमांक	मद	विद्यमान प्रतिफल शुल्क
1.	सादा एवं परिशोधित स्प्रिट	1. सादा स्प्रिट पर तीव्र देशी शराब 36 प्रतिशत वी/वी के रूप में उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से 2. परिशोधित स्प्रिट पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के **''इकोनोमी श्रेणी''** पर उद्ग्रहरीण प्रतिफल शुल्क की दर से।
2.	परिष्कृत स्प्रिट देशी मसालेदार स्प्रिट सहित	1. परिष्कृत स्प्रिट पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा के **''इकोनोमी श्रेणी''** पर उद्ग्रहरीण प्रतिफल शुल्क की दर से। 2. मसालेदार देशी मदिरा पर तीव्र देशी शराब के 36 प्रतिशत वी/वी के रूप उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से
3.	विकृत और विशेष विकृत स्प्रिट	**अभिवहन में अतिशय छीजन पर (धारा–64 के अधीन अपराध) वह धारा 74 के अधीन यथाविहित रूप में शमनीय होगा।**
4.	भारतनिर्मित विदेशीमदिरा (बोतलों में भरी हुई)	भारत निर्मित विदेशी मदिरा की सुसंगत श्रेणी पर उद्ग्रहणीय प्रतिफल शुल्क की दर से

परन्तु यदि आबकारी आयुक्त के सन्तोषानुसार यह साबित कर दिया कि विहित सीमा से अधिक कमी या छीजन किसी दुर्घटना या अन्य अपरिहार्य कारण से हुई है तो ऐसी कमी या छीजन पर शुल्क देने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

जब छीजन विहित सीमा से अधिक न हो,तब प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है किन्तु मासिक स्टाक की जांच करते समय यदि किसी मामले में छीजन विहित सीमा से अधिक पाई जाय तो प्रभारी अधिकारी को आसवक से लिखित स्पष्टीकरण लेना चाहिये और उसे परिस्थतियों की पूर्ण रिपोर्ट सहित प्रभार के सहायक आबकारी आयुक्त,उप आबकारी आयुक्त को भेजना चाहिये। सहायक आबकारी आयुक्त/उप आबकारी आयुक्त अतिरिक्त छीजन पर शुल्क लेगा,यदि उसका समाधान हो जाय कि विहित सीमा से अधिक छीजन किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारण से नहीं हुई है। यदि अतिरिक्त छीजन किसी दुर्घटना या अपरिहार्य कारण से हुई है तो मामला आबकारी आयुक्त को आदेश के लिये निर्दिष्ट किया जायगा।

नियम–27 आसवक इस समय प्रभावी या उसके बाद बनने वाले नियमों का पालन करने के लिये बाध्य होगा– आसवक आसवनी के नियंत्रण तथा व्यवस्था के सम्बन्ध में और वहाँ से शराब की निकसी के सम्बन्ध में इस समय प्रभावी और इसके बाद बनने वाले सभी नियम जो वर्तमान में आबकारी अधिनियम या इसके पश्चात अधिनियमित विधि के अधीन बनाये जावें तथा आबकारी आयुक्त के विशेष आदेशों से बाध्य होगा और उसके द्वारा निर्माण या निकासी करने आदि में नियुक्त किये गये सभी व्यक्तियों द्वारा ऐसे समस्त नियमों का पालन करायेगा।

27(क) आसवकों द्वारा अभिकर्ताओं तथा अन्य समस्त सेवकों की नियुक्ति प्रभारी **उप आबकारी आयुक्त** के अनुमोदन के अधीन होगी। वह यदि किसी व्यक्ति को अवाच्छनीय समझे तो उसे सेवा से पृथक करने या उसकी नियुक्ति को निषिद्ध करने का आदेश दे सकता है, परन्तु यह कि किसी व्यक्ति को जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (अधिनियम संख्या 14, सन् 1947) की धारा 2(एस) द्वारा परिभाषित ''वर्कमैन (कर्मकार)'' के अन्तर्गत आता है,उसे श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश के पूर्व परामर्श के बिना नहीं हटाया जायेगा :

परन्तु यह कि श्रम आयुक्त तथा **उप** आबकारी आयुक्त की राय में व्यक्ति को सेवा से हटाने सम्बन्धी किसी बिन्दु पर मतभेद होने पर मामले को तुरन्त आबकारी आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को आदेशार्थ सन्दर्भित किया जायगा।

(2) **उप आबकारी आयुक्त** द्वारा किसी व्यक्ति को सेवा से पृथक करने व नियुक्ति निषिद्ध करने सम्बन्धी दिये गये आदेश के विरूद्व आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश को अपील की जा सकती है।

(3) जब किसी व्यक्ति पर उत्पाद शुल्कारोप्य वस्तुओं की चोरी करने कर सन्देह हो और राजस्व के हित की सुरक्षा या अनुशासन के हित में उस व्यक्ति का आसवनी से तुरन्त हटाना आवश्यक समझा जाय तो संविदाकार को यह कहा जा सकता है कि वह व्यक्ति को सेवा से हटाये जाने के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त की सहमति प्राप्त होने तक दोषी वर्कमैन (कर्मकार) को दूसरे विभाग में लगा दे, जहाँ से उसका आसवनी में प्रवेश करना आवश्यक न हो।

नियम–28 उक्त नियमावली में नियम 27क के पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

पेय मदिरा निर्माता पी0डी0–2 लाइसोंसधारक आसवनियाँ देशी शराब के थोक विक्रय के अनुज्ञापियों द्वारा मांग किये जाने पर देशी शराब की आपूर्ति, आबकारी आयुक्त द्वारा यथानिर्धारित समयान्तर्गत किये जाने हेतु बाध्य होंगी। थोक मदिरा विक्रय अनुज्ञापियों द्वारा दिये गये मांग पत्रों का निस्तारण प्रथम आवक प्रथम पावक के अधार पर किया जायेगा। पूर्वोक्त अनिवार्य उपबन्ध उल्लंघन करने पर आसवनियों के अनुज्ञापियों पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शास्ति आरोपित की जा सकती है।

प्रपत्र पी0डी0–1
(नियम 2 (1) देखिये)

सरकार के स्वामित्वाधीन भू–गृहादि में आसवनी चलाने का लाइसेंस।

लाइसेंसस संख्या..........................दिनांक ....
श्री / सर्वश्री.....................................निवासी / निवासियों...
को एतद्द्वारा..की अवधि के लिए....................................
............................में स्थित आसवनी में स्प्रिट बनाने,

(1) उसके / उनके संविदा क्षेत्र के भीतर स्थित भण्डागारों को उसका संभरण करने, तथा
(2) अपने संविदा क्षेत्र के भीतर इसकी गोदाम में आपूर्ति करने,
(3) निम्नलिखित के अध्यधीन उसे ऐसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को जो सीधे आसवनी से स्प्रिट क्रय करने के हकदार हों,
    (एक) स्प्रिट का आयात,निर्यात तथा परिवहन करने के संबंध में एक्साइज मैनुअल खण्ड प्रथम (1995 संस्करण) के भाग–2 के अध्याय–4 और 5 में अन्तर्विष्ट नियमों,
    (दो) आसवनियों में स्प्रिट बनाने के संबंध में एक्साइज मैनुअल खण्ड प्रथम(1995 संस्करण) के भाग–2 के अध्याय–8 में अन्तर्विष्ट नियमों तथा
    (तीन) ऐसे अन्य नियमों और आदेशों के अधीन रहते हुये जो समय–समय पर आबकारी आयुक्त द्वारा आबकारी राजस्व की प्राप्यता सुनिश्चित करने के लिये और भारत निर्मित विदेशी मदिरा(जिसमें परिशोधित स्प्रिट और विकृत स्प्रिट भी सम्मिलित है) बनाने,उसके विक्रय,सम्भरण और मूल्य को विनियमित करने के लिये बनाये जायें या निर्गत किये जायें।
    (चार) निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहते हुये लाइसेंस दिया जाता है। एतत्पूर्व प्रगणित किन्हीं भी नियमों या नीचे अंकित शर्तो का व्यतिक्रम करने पर ऐसी अन्य शस्तियों के अतिरिक्त,जेसा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम,1910 के अधीन विहित हो, लाइसेंस समपहृत किया जायगा।

शर्ते

(1) सरकार किसी आसवनी के लिये आवश्यक समस्त स्थाई, भवनों, कुओं,जलमार्गो तथा नलियों का निर्माण करेगी और उन्हें उचित दिशा में रखेगी।
(2) लाइसेसधारी, आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुये, स्प्रिट के उत्पादन, भंडारण तथा परिवहन के लिये आवश्यक समस्त संयंत्र तथा उपकरण जिसमें आसवनी के प्रवेश / निकास द्वार पर आई0पी0 एड्रेस सहित सी0सी0टी0वी0 कैमरों की स्थापना व अनुरक्षण भी सम्मिलित होगा सम्भरित करेगा और उन्हें परिनिर्मित करेगा।
(3) भवनों या लगाये गये संयंत्रों में आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं कियाा जायेगा।
(4) लाइसेंसधारी इस प्रकार का प्रबन्ध करेगा,जैसा कि गन्दा पानी तथा कूड़ा–करकट आदि हटाने या आसवनी के कार्य संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गंदगी को दूर करने के लिये उसे निर्देश दिया जाय।
(5) लाइसेंसधारी प्रति वर्ष 1000 रूपये की दर या जो धनराशि सरकार द्वारा समय–समय पर नियत की जाय,की दर से तिमाही किस्तों में, किराये का भुगतान करेगा।
(6) **(क)** लाइसेसधारी सरकारी सम्पत्ति में उचित टूट–फूट के फलस्वरूप हुई क्षति के अतिरिक्त समस्त क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
    (ख) विदेशी मदिरा एवं देशी शराब के बोतलों की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी, आसवनी के बोतल भराई कक्ष से तब तक नहीं की जायेगी जब तक उन पर **आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड पैकिंग कार्टन (केस) जिस पर पैकिंग की गयी बोतलों की संख्या (नग), धारिता, तीव्रता, ब्राण्ड तथा पैकेजिंग का प्रकार अंकित न हो, एवं भरी गयी स्प्रिट / विदेशी मदिरा / देशी मदिरा की प्रत्येक बोतल / टेट्रापैक अथवा अन्य किसी कन्टेनर पर बाटलिंग के तुरन्त बाद लाइसेंस फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा न किया गया हो, जिसके लिए आवश्यक प्रबन्ध आसवनी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित रखते हुए आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।**

(ग) **लाइसेंसधारी, देशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर अनुमोदित अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित करेगा, जो 16 फान्ट साइज से कम का नहीं होगा।**

(घ) **लाइसेंसधारी भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए बोतलों के लेबुलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर अनुमोदित अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृष्य हो।**

(7) ऐसी देशी स्प्रिट के सम्भरण, जिसके संबंध में यह लाइसेंस स्वीकृत किया जाय,के लिये संविदा समाप्त होने पर लाइसेंसधारी को यह मांग करने का हक होगा कि देशी स्प्रिट बनाने उसका संग्रह करने के संबंध में आसवनीं में प्रयुक्त समस्त स्वीकृत संयंत्र अनुवर्ती ठेकेदार द्वारा उससे या तो परस्पर समझौते द्वारा अथवा आबकारी आयुक्त के आदेशों के अधीन किये गये मूल्यांकन पर क्रय कर लिया जायेगा।

परन्तु यह कि–

(1) यदि लाइसेसधारी इस खण्ड के अन्तर्गत लाभों के लिए दावा करने की इच्छा करे तो वह अपने इस आशय की सूचना संविदा समाप्त होने के 6 मास पूर्व देगा।

(2) यह कि इस खण्ड के अधीन दावा केवल ऐसे संयंत्र के लिए अनुज्ञेय होगा, जो इस करार के अधीन देशी स्प्रिट बनाने तथा उसका भंडारण करने में आवश्यक रहा हो।

(8) इसी प्रकार लाइसेंसधारी वहिर्गामी संविदाकार से उपर्युक्त शर्तों पर ऊपर लिखित वस्तुयें क्रय करने के लिए बाध्य होगा। यदि वह सौहार्दपूर्वक तय किए गए या आबकारी आयुक्त द्वारा निश्चित किये गये मूल्य का भुगतान न करें तो संविदा रद्द किया जा सकेगा और आबकारी आयुक्त वहिर्गामी संविदाकार को उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी कोषागार में नए संविदाकार के नाम जमा धनराशि में से मूल्य का भुगतान कर सकता है।

(9) प्रचलित पी0डी0–1 एवं पी0डी0–2 अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार होगीः–

क्रम संख्या	आसवनी की वार्षिक सकल अधिष्ठापित क्षमता(लाख ब0ली0में)	संदेय प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1	500 तक	**25 लाख**
2	500 से अधिक 1000 तक	**45 लाख**
3	1000 से अधिक	**65 लाख**

प्रतिभूति धनराशि का 75 प्रतिशत भाग ''सावधि जमा रसीद'' के रूप में जमा किया जायेगा जो आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश के अभिहित नाम से प्रतिश्रुत होगा,तथा शेष 25 प्रतिशत भाग राजकीय राजकोष में सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अधीन नकद जमा किया जायेगा।

(10) पेय मदिरा निर्माता पी0डी0–1 अनुज्ञापनधारक आसवनियां देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों को मांग के अनुसार युक्ति–युक्त समयान्तर्गत, जो आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा,देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु बाध्य होगी।

(11) अनुज्ञापी शासनादेश संख्या–एक/201/ –29ई/1–तेरह/2018 दिनांक 08.01.2018 के अनुसार जारी निरीक्षण से सम्बन्धित सुसंगत बिन्दुओं का अनुपालन करेगा एवं आबकारी आयुक्त अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन करेगा।

प्रतिरूप करार

मैं.................................उपर्युक्त नामित लाइसेंसधारी स्वयं,मेरे वारिस,विधिक प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती की ओर से एतद्द्वारा एतद्पूर्व लिखित और अभिव्यक्त समस्त निबन्धनों तथा शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर लाइसेंसी

दिनांकः
साक्षीः
(1)
(2)

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

प्रपत्र पी0डी0–2
(नियम 2 (1) देखिये)

किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन भू–गृहादि में आसवनी चलाने का लाइसेंस।
लाइसेंस संख्या.................................... दिनांक...
सर्वश्री..निवासी/निवासियों को एतद्द्वारा (1) .... में स्थित उनकी आसवनी में स्प्रिट निर्मित करने,
(2) उसके/उनके संविदा क्षेत्र के भीतर स्थित भण्डागारों या थोक अनुज्ञापियों को उसका संभरण करने,
(3) उसे सरकार की या ऐसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों को बेचने के लिये जो सीधे आसवनी से स्प्रिट क्रय करने के हकदार हों, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए...........................तक की अवधि के लिये लाइसेंस दिया जाता है–

शर्तें

(1) लाइसेंस निम्नलिखत के अधीन होगा–
(एक) स्प्रिट का आयात, निर्यात तथा परिवहन के सम्बन्ध में आबकारी मैनुअल के खण्ड–प्रथम (1995 संस्करण) के भाग–2 के अध्याय 4 और 5 में दिए गये नियम,
(दो) आसवानियों में स्प्रिट बनाने के सम्बन्ध में आबकारी मैनुअल के खण्ड प्रथम(1995 संस्करण) के भाग–2 के अध्याय 8 में दिये गये नियम, और
(तीन) ऐसे अन्य नियम या आदेश जो समय–समय पर आबकारी आयुक्त और सरकार द्वारा आबकारी राजस्व को सुनिश्चित करने के लिए और भारत निर्मित विदेशी मदिरा (जिसमें परिशोधित स्प्रिट और विकृत स्प्रिट भी सम्मिलित है) बनाने, उसके विक्रय, सम्भरण और मूल्य को विनियमित करने के लिए बनाए या निर्गत किये जाए।
(2) लाइसेंसधारी, आसवनी के लिए आवश्यक समस्त स्थायी भवनों, कुओं, जलमार्गो तथा नालियों का निर्माण करेगा और उन्हें उचित दशा में रखेगा।
(3) लाइसेंसधारी, आबकारी आयुक्त के पूर्वानुमोदन के अधीन रहते हुए, स्प्रिट के उत्पादन, भंडारण तथा परिवहन के लिए आवश्यक समस्त संयंत्र तथा उपकरण जिसमें आसवनी के प्रवेश/निकास द्वार पर **आई0पी0 एड्रेसयुक्त** सी0सी0टी0वी0कैमरों की स्थापना व अनुरक्षण भी सम्मिलित होगा, सम्भरित करेगा और उन्हें परिनिर्मित करेगा।

(4) भवनों या स्थित संयंत्रों में आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
(5) लाइसेंसधारी परिशुद्ध अल्कोहल, परिशेधित स्प्रिट, विकृत स्प्रिट,देशी स्प्रिट और विकृतकारक पदार्थ का ऐसा न्यूनतम स्टाक रखने के लिये बाध्य होगा जिसे आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश सामान्य मांग/**अतिरिक्त मांगकी भी** मात्रा को ध्यान में रखते हुये विहित करे।

(6) लाइसेंसधारी आसवनी के भू–गृहादि में समुचित सफाई रखने के लिये उत्तरदायी होगा और कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 11 की उपधारा(1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों और तद्धीन जारी किये गये आदेशों, यदि कोई हो, **तथा जल एवं वायु प्रदूषण से सम्बन्धित सुसंगत** उपबन्धों का पालन करेगा, जबकि तक कि राज्य सरकार द्वारा इन उपबन्धों से और उनमें से किसी उपबन्ध से विशेष रूप से छूट न दी जाये।

(7) (क) लाइसेंसधारी अल्कोहल निर्माण से उत्पन्न क्षेप्य पदार्थों और निःस्राव के निस्तारण के लिए प्रभावी प्रबन्ध करेगा और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के अधीन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल, 2016 में विहित तथा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–12 की उपधारा(2) के उपबन्धों के अधीन इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा भी विहित और जल तथा वायु प्रदूषण से सम्बन्धित सुसंगत उपबन्धों के अधीन व्यवस्था करेगा।

(ख) विदेशी मदिरा एवं देशी शराब के बोतलों की उत्तर प्रदेश में बिक्री हेतु निकासी, आसवनी के बोतल भराई कक्ष से तब तक नहीं की जायेगी जब तक उन पर **आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड पैकिंग कार्टन (केस) जिस पर पैकिंग की गयी बोतलों की विनिर्दिष्ट संख्या, (नग), विभिन्न धारिता, तीव्रता, ब्राण्ड तथा पैकेजिंग का प्रकार अंकित न हो, एवं भरी गयी स्प्रिट/विदेशी मदिरा/देशी मदिरा की प्रत्येकबोतल/टेट्रापैक अथवा अन्य किसी कन्टेनर पर बाटलिंग के तुरन्त बाद लाइसेंस फीस के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड चस्पा न किया गया हो, जिसके लिए आवश्यक प्रबन्ध आसवनी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसका डिजिटल रिकार्ड भी अनुरक्षित रखते हुए आबकारी विभाग के अभिहित पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।**

(ग) **लाइसेंसधारी, देशी शराब की बोतलों के लेबिलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर अनुमोदित अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित करेगा, जो 16 फान्ट साइज से कम का नहीं होगा।**

(घ) **लाइसेंसधारी भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के लिए बोतलों के लेबुलों पर आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर अनुमोदित अधिकतम फुटकर मूल्य मुद्रित करेगा, जो सरलता से दृष्य हो।**

(8) प्रचलित पी0डी0–2 अनुज्ञापनों एवं पी0डी0–2 अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार होगीः–

क्रम संख्या	आसवनी की वार्षिक सकल अधिष्ठापित क्षमता(लाख ब0ली0में)	संदेय प्रतिभूति धनराशि (रूपये में)
1	500 तक	**25 लाख**
2	500 से अधिक 1000 तक	**45 लाख**
3	1000 से अधिक	**65 लाख**

प्रतिभूति धनराशि का 75 प्रतिशत भाग ''सावधि जमा रसीद'' के रूप में जमा किया जायेगा जो आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश के अभिहित नाम से प्रतिश्रुत होगा,तथा शेष 25 प्रतिशत भाग राजकीय राजकोष में सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अधीन नकद जमा किया जायेगा।

(9) पेय मदिरा निर्माता पी0डी0–2 अनुज्ञापन धारक आसवनियां देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापनों को मांग के अनुसार युक्ति–युक्त समयान्तर्गत,जो आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित किया जायेगा, देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु बाध्य होगी। **थोक विक्रेता अनुज्ञापियों द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र का निस्तारण प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर किया जायेगा।**

(10) यहाँ इसके पूर्व प्रगणित नियमों या शर्तो का किसी प्रकार उल्लंघन करने पर ऐसी अन्य शास्तियों के अतिरिक्त जैसा संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन विहित हो,लाइसेंस का रद्द किया जाना सम्मिलित होगा।

(11) अनुज्ञापी शासनादेश संख्या– एक/201/ –29ई/1–तेरह/2018 दिनांक 08.01.2018 के अनुसार जारी निरीक्षण सम्बन्धी बिन्दुओ का पालन करेगा और आबकारी आयुक्त अथवा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

प्रतिरूप करार

मैं.................................उपर्युक्त नामित लाइसेंसधारी स्वयं,मेरे वारिस,विधिक प्रतिनिधि तथा समनुदेशिती की ओर से एतदद्वारा एतद्पूर्व लिखित और अभिव्यक्त समस्त निबन्धनों तथा शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

हस्ताक्षर लाइसेंसी

दिनांकः
साक्षीः
(1)
(2)

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

प्रपत्र पी0डी0 33
(नियम1(3) और 2(2) देखिये)
आसवनी की स्थापना के लिये लाइसेंस

लाइसेंसधारी/लाइसेसधारियों का/के नाम..............
श्री...
निवासी.......................................को **5,00,000/– (पॉच लाख) रूपये** की लाइसेंस फीसका भुगतान करने पर एक्साइज मैनुअल खंड 1 के अध्याय 9 में अन्तर्विष्ट आसवनियों में स्प्रिट के निर्माण से सम्बद्ध नियमों तथा एसे अन्य नियमों के अधीन रहते हुये जिन्हें आबकारी आयुक्ततथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर आबकारी राजस्व को सुनिश्चित करने तथा स्प्रिट के निर्माण को विनियमित करने के लिये बनाया जाय,...जिले में.....................
...............पर आसवनी की स्थापना करने के लिये उसको प्राधिकृत करते हुये एतद्द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। इसके पूर्व वर्णित किन्हीं नियमों का व्यतिक्रम करने पर ऐसी अन्य शास्तियों के,जिन्हें संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम,1910 के अधीन विहित किया जाय,अतिरिक्त लाइसेंस समपहत किया जायगा।

लाइसेंस.................................(इस लाइसेंस के जारी होने के दिनांक) से एक वर्ष की अवधि के लिये विधि–मान्य होगा।

आसवक इस लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने के लिये उसकी अवधि समाप्त होने के कम से कम तीस दिन पूर्व आबकारी आयुक्त को आवेदन करेगा।

इलाहाबादः

दिनांक..................

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

प्रपत्र पी0डी0 34
(नियम 2 (2) देखिये)

उत्तर प्रदेश इस्टैब्लिशमेंट आफ डिस्टिलरी रूल्स,1910 के नियम 2 (1) के अधीन प्रपत्र पी0डी0–1 या पी0डी0 – 2 में लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन–पत्र।

सेवामें,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
द्वारा,
कलेक्टर
....
दिनांक......................................स्थान.........................

लाइसेंस दिये जाने के लिये प्रपत्र पी0डी0–1 या पी0डी0–2 में श्री...
निवासी..का आवेदन–पत्र।

(1) अधोहस्ताक्षरी.................................अपने लिये..........की ओर से.. .... स्थान, जिला..,उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश इस्टैब्लिशमेंट आफ डिस्टिलरी रूल्स,1910 के नियम............................के अधीन आसवनी चलाने हेतु लाइसेंस के लिये आवेदन करता है।

(2) आवेदक निम्नलिखित आकार तथा विवरण का भपका इत्यादि चलाना चाहता है,अर्थात

(3) लाइसेंस दिये जाने की दशा में,आवेदक...........................पर आसवनी में कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता है।

(4) आसवनी के रूप में प्रयोग किये जाने तथा आसवन के कार्य से सम्बद्ध भण्डागार तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भू–गृहादि तथा भवनों का नक्शा तथा विवरण अनुमोदन के लिये संलग्न है। आवेदक तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन भवनों के परिनिर्माणकरने तथा भू–गृहादि तथा भवनों में ऐसे समस्त आवश्यक संरचनात्मक या अन्य परिवर्तन तथा परिवर्धन करने का बचन देता है जिसके लिये सरकार समय–समय पर अनुमोदन करें या निदेश दे और जो सभी प्रकार से भू–गृहादि तथा भवनों की मरम्मत तथा दशा दोनो ओर उनकी सफाई तथा आसवनी के,प्रयोजनार्थ उपयुक्तता के सम्बन्ध में भू–गृहादि और भवनों को समुचित दशा में रखने के लिये आबकारी आयुक्त द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप हो।

(5) आवेदक सभी प्रकार से (क) आसवनी या उसके कार्य चालन या उसे कब्जे में रखने के सम्बन्ध में प्रयोज्य आसवनी नियमों के उपबन्धों तथा (ख) उन शर्तो का जो आवेदित लाइसेंस में दर्ज की जाय,पालन करने का वचन देता है।

(6) नगरपालिका का या अन्य स्थानीय प्राधिकारी से इस आशय का एक प्रमाण–पत्र की उस क्षेत्र में तथा प्रस्तावित भू–गृहादि भवनों में आसवन का कारबार करने के कार्य में स्वच्छता के आधार पर कोई आपत्ति नहीं है,संलग्न है।

(7) कोई अतिरिक्त नक्शा,अनुमान या सूचना जो अपेक्षित हो,शीघ्र दी जायेगी।

(8) आवेदक लाइसेंस सम्बन्धी आसवनी नियमावली की प्रत्येक और समस्त आवश्यकताओं का उसके/उनके द्वारा सम्यक रूप से पालन किये जाने के लिये प्रतिभूति के रूप में 20.0 हजार रूपये (केवल बीस हजार रूपये) की धनराशि जमा करने के लिये तैयार तथा इच्छुक है।

आवेदक का हस्ताक्षर

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश